



छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम

योजना और पाठ्यक्रम

❖ छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा परीक्षा पात्रता मानदंड:

- आवेदकों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से LL.B पूरा करना होगा।
- आयु सीमा-(22-35) वर्ष होनी चाहिए, आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट होगी।

❖ चयन प्रक्रिया:

- प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय)
- मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा))
- साक्षात्कार

परीक्षा पैटर्न इस प्रकार होगा:

ऑनलाइन-प्रारंभिक परीक्षा

अधिकतम अंक-100 (समय- 2,घंटे)

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973,
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872,
- भारतीय दंड संहिता, 1860,
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908,
- भारत का संविधान,
- भारतीय संविदा अधिनियम 1872,
- संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882,
- छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2011
- न्यायालय शुल्क अधिनियम , विशिष्ट राहत अधिनियम
- पंजीकरण अधिनियम , छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता
- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915

मुख्य परीक्षा (100 अंक)

- दीवानी मामलों में मुद्दों का निर्धारण और निर्णय लिखना (अंक - 40)
- आपराधिक मामलों में आरोप तय करना और निर्णय लिखना (अंक - 40)
- **अनुवाद:**



- (1) अंग्रेजी से हिंदी- (अधिकतम 10 अंक)
- (2) हिंदी से अंग्रेजी- (अधिकतम 10 अंक)

मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार)

- ❖ मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही साक्षात्कार के लिए 1:3 के अनुपात में पात्र होंगे। साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए अधिकतम 15 अंक होंगे।